संख्या–1358/तीस–4–2010–172/89

प्रेषक,

माजिद अली,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त उप परिवहन आयुक्त/
संभागीय परिवहन अधिकारी/
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 14 जुलाई 2010

विषय :–रिट याचिका संख्या–136/2003 परमजीत भसीन व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दि0 9.11.2005 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त रिट याचिका संख्या–136/2003 परमजीत भसीन व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दि0 9.11.2005 को मालयानों पर निर्धारित क्षमता से अधिक भार को उतरवाये बिना मालयानों का परिवहन अनुमन्य न किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। इस संबंध में ओवरलोडिंग रोकने हेतु शासनादेश संख्या–1503/30–4–2006–172/89, दिनांक 30–10–06, 2337/30–4–07–172/89 दिनांक 31–10–07 एवं अन्य शासनादेशो द्वारा समय–समय पर आदेश निर्गत करके राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते रहे हैं तथापि मालवाहनों की ओवरलोडिंग के संबंध में समय–समय पर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। माल वाहनों पर स्वीकृत क्षमता से अधिक माल लादने से सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के साथ ही प्रदूषण व सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि होती है।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दि0 9.11.2005 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं इस संबंध में प्रवर्तन अधिकारियों को यदि कोई कठिनाई आये, तो उन्हें जिला एवं पुलिस प्रशासन का आवश्यक सहयोग प्रदान कर उसका निवारण कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3– कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा विभागीय प्रवर्तन अधिकारी अनुपालन की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट निम्नांकित प्रपत्र पर परिवहन आयुक्त के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :–

कमांक	जिले/प्रवर्तन दल का नाम	चेक किये गये वाहनो की सं0	ओवरलोड पाये गये वाहनो की सं0	उतरवाये गये अतिरिक्त सामान की मात्रा(टन में)	चालान संख्या	निरस्त किये गये परमिटों की संख्या	निरस्त किये गये ड्राइविंग लाईसेन्स की सं0	वसूल की गयी जुर्माने की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

भवदीय,

(माजिद अली)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1358(1)/तीस–4–2010तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5– परिवहन आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप पर साप्ताहिक रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा इस अभियान में उदासीनता बरतने वाले विभागीय कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(माजिद अली)
प्रमुख सचिव।